N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0219   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/08/2025 19:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 21/08/2025   Date To (दिनांक तक): 23/08/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 18:00 बजे   Time To (समय तक): 13:09 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/08/2025   Time (समय): 11:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003   Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/08/2025 19:32:56 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 540 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): GRAM SARSIYAPADA KI GRAMIN SADAK, TEHSIL SAJJANGARH,, JILA BANSWARA
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** MUKESH SURAWAT
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** DALHENG SURAWAT
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AOSARA POST TAMBESARA, SAJJANGARH, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AOSARA POST TAMBESARA, SAJJANGARH, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHANTILAL CHAWLA		पिता:LALURAM CHAWLA	1. 49 B,HIRAN MAGARI SECTOR 14,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDI
2	LADJI GARASIYA		पिता:KALJI GARASIYA	1. SARASIYA PADA,SAJJANGARH,BANSWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी मुकेष सुरावत पुत्र श्री दलहेंग सुरावत उम्र 34 वर्ष निवासी ओसारा पोम्ट ताबेंसरा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा हाल सरपंच ग्राम पंचायत ताबेसरा जिला बांसवाडा का रहने वाला हुं। मेरी फर्म राजकुमार सुरावत मटेरियल सप्लायर्स जिसका प्रोपराईटर में स्वयं हुं उक्त फर्म के माध्यम से में सरकारी विभागों में ठेकेदारी का कार्य करता हु मेरे द्वारा वन विभाग की रेंज डूंगरा के अन्तर्गत नर्सरी सुधार हेतु निविदा वन विभाग में डाली गई थी जिस पर उप वन संरक्ष बांसवाडा द्वारा उनके आदेष क्रमांक 286-91 दिनांक 08.01.2025 द्वारा कार्यादिष जारी किए गए थे जिसके बाद मेरे द्वारा डूंगरा रेंज के अन्तर्गत नर्सरी सुधार का कार्य, कुएं की मरम्मत कार्य, शक्करवाडा नर्सरी सुधार कार्य किया गया था उक्त कार्य हेतु मुझे कार्य के दौरान 1,18,000/- रूपये का बिल का भुगतान कर दिया गया था कार्य पूर्ण होने के बाद मेरे द्वारा भुगतान हेतु बिल कुल राषि 2,24,497/- रूपये का बिल वन विभाग के रेंज कार्यालय डूंगरा पर दिनांक 14.08.2025 को बिल पेष किया था तो वहा मुझे श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब मिले और उन्होने कहां की बिल पास करने के लिए जो हमारी कमीषन की राषि बनती है वो दोगे तो ही बिल पास करेगें मेरे पूछने पर की कितनी राषि बनती है तो उन्होने मुझसे 80,000/- रूपये मांग कर कहां की वन विभाग के डिवीजन कार्यालय तक ये राषि देनी होती है जिस पर मेरे द्वारा उन्हे कहां गया की मैने सब कार्य मापदण्ड अनुरूप किया है फिर मै ये राषि आपको क्यो दू उसके बाद में वापस वहा से अपने कार्य के लिए चला गया था जिसके बाद दिनांक 21.08.2025 को मेरे मोबाईल पर श्री लाडजी गरासिया फोरेस्टर ने फोन किया और कहां की रेंजर साहब आपके बिल पर साईन नही कर रहे है और बिल पर साईन करने के लिए 80,000/-रूपये पहले मांग रहे है वो राषि तुम उनको दोगे तो ही वो बिल पास करेंगे एसीएफ साहब छुट्टी जा रहे है उसके बाद आपका बिल पास नही होगा आप कल दिनांक 22.08.2025 को रेंज कार्यालय आ जाना तो रेंजर साहब से मिलकर आपके बिल की बात कर लेना। वो आज मुझसे रिष्वत राषि की फिर से मांग कर सकते है मै अपने साथ कार्यादिष एवं पेष किए गए भुगतान के बिल भी आपको प्रार्थना पत्र के साथ पेष करता हु। मैं श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब और एसीएफ साहब और फोरेस्टर श्री लाडजी गरासीया को कोई रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। मेरा इन सब मे ना ही कोई आपसी लेन देन बाकि है ना ही कोई रंजीष है मै इन्हे कोई रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। अतः आप कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें। दिनांकः-22.08.2025 सही/- मुकेष सुरावत पुत्र श्री दलहेंग सुरावत उम्र 34 वर्ष निवासी ओसारा पोस्ट ताबेंसरा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा मोबाईल नं . कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 21.08.2025 समय 06.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो मुख्यालय के 1064 हेल्पलाईन शाखा से परिवादी श्री मुकेश सुरावत के मोबाईल नं . उपलब्ध करवाए गए थे जिस पर परिवादी श्री मुकेष सुरावत के मोबाईल नं पर ब्यूरो कार्यालय के टेलिफोन से सम्पर्क किया जाकर षिकायत सम्बन्धी पूछताछ कर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अभी आना सम्भव नही है मेरे कोई निजी कार्य है तो मै कल आपके कार्यालय आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर कल दिनांक 22.08.2025 समय 09.00 एएम पर पर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 22.08.2025 समय 10.50 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश सुरावत पुत्र श्री दलहेंग सुरावत उम्र 34 वर्ष निवासी ओसारा पोस्ट ताबेंसरा तहसील सज्जनगढ हाल सरपंच ग्राम पंचायत ताबेसरा जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यान्लय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री मुकेश सुरावत ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि "मुझ प्रार्थी मुकेष सुरावत पुत्र श्री दलहेंग सुरावत उम्र 34 वर्ष निवासी ओसारा पोस्ट ताबेंसरा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा हाल सरपंच ग्राम पंचायत ताबेसरा जिला बांसवाडा का रहने वाला हुं। मेरी फर्म राजकुमार सुरावत मटेरियल सप्लायर्स जिसका प्रोपराईटर में स्वयं हुं उक्त फर्म के माध्यम से में सरकारी विभागों में ठेकेदारी का कार्य करता हु मेरे द्वारा वन विभाग की रेंज डूंगरा के अन्तर्गत

नर्सरी सुधार हेतु निविदा वन विभाग में डाली गई थी जिस पर उप वन संरक्ष बांसवाडा द्वारा उनके आदेष क्रमांक 286-91 दिनांक 08.01.2025 द्वारा कार्यादेष जारी किए गए थे जिसके बाद मेरे द्वारा डूंगरा रेंज के अन्तर्गत नर्सरी सुधार का कार्य, कुएं की मरम्मत कार्य, शक्करवाडा नर्सरी सुधार कार्य किया गया था उक्त कार्य हेतु मुझे कार्य के दौरान 1,18,000/- रूपये का बिल का भुगतान कर दिया गया था कार्य पूर्ण होने के बाद मेरे द्वारा भुगतान हेतु बिल कुल राषि 2,24,497/- रूपये का बिल वन विभाग के रेंज कार्यालय डूंगरा पर दिनांक 14.08.2025 को बिल पेष किया था तो वहा मुझे श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब मिले और उन्होने कहां की बिल पास करने के लिए जो हमारी कमीषन की राषि बनती है वो दोगे तो ही बिल पास करेगें मेरे पूछने पर की कितनी राषि बनती है तो उन्होने मुझसे 80,000/- रूपये मांग कर कहां की वन विभाग के डिवीजन कार्यालय तक ये राषि देनी होती है जिस पर मेरे द्वारा उन्हे कहां गया की मैने सब कार्य मापदण्ड अनुरूप किया है फिर मै ये राषि आपको क्यो दू उसके बाद में वापस वहा से अपने कार्य के लिए चला गया था जिसके बाद दिनांक 21.08.2025 को मेरे मोबाईल पर श्री लाडजी गरासिया फोरेस्टर ने फोन किया और कहां की रेंजर साहब आपके बिल पर साईन नही कर रहे है और बिल पर साईन करने के लिए 80,000/-रूपये पहले मांग रहे है वो राषि तुम उनको दोगे तो ही वो बिल पास करेंगे एसीएफ साहब छुट्टी जा रहे है उसके बाद आपका बिल पास नही होगा आप कल दिनांक 22.08.2025 को रेंज कार्यालय आ जाना तो रेंजर साहब से मिलकर आपके बिल की बात कर लेना। वो आज मुझसे रिष्वत राषि की फिर से मांग कर सकते है मै अपने साथ कार्यादेष एवं पेष किए गए भुगतान के बिल भी आपको प्रार्थना पत्र के साथ पेष करता हु। मैं श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब और एसीएफ साहब और फोरेस्टर श्री लाडजी गरासीया को कोई रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। मेरा इन सब से ना ही कोई आपसी लेन देन बाकि है ना ही कोई रंजीष है मै इन्हे कोई रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। अतः आप कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें। दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री बंसीलाल कानि नं 63 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री बंसीलाल कानि नं 63 का परिचय परिवादी श्री मुकेश सुरावत से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गए। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश सुरावत से श्री शान्तिलाल चावला रेंजर एवं फोरेस्टर श्री लाडजी गरासीया के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया की अभी थोडी देर पहले जरिये मोबाईल फोरेस्टर श्री लाडजी गरासीया से मेरी बात हुई थी उन्होने मुझे वन रेंज ऑफिस सज्जनगढ आकर मिलने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बंसीलाल कानि नं 63 को अग्रिम रिष्वत राषि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड सुपूर्द कर समय 12.25 पीएम पर परिवादी एवं श्री बंसीलाल कानि को परिवादी के निजी वाहन से वन रेंज कार्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेष सुरावत व कानि. श्री बंसीलाल नं 63 ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आकर श्री बंसीलाल कानि 63 ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश सुरावत ने बताया कि मै व श्री बंसीलाल कानि मेरे निजी वाहन से ब्यूरो इकाई से रवाना होकर वन रेंज सज्जनगढ़ के आस पास पहुंचे जहां श्री बंसीलाल कानि द्वारा मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया। जिस पर मैं पैदल ही वन रेंज कार्यालय सज्जनगढ पहुंचा वहां श्री लाडजी गरासीया फोरेस्टर उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरी फर्म द्वारा किए गए नर्सरी सुधारीकरण के कार्य के बिल भुगतान सम्बन्धी वार्ता की तो उन्होने मेरे समस्त किए गए कार्या के बिलो की गणना कर 15 पर्सेन्ट कमीषन हेतु कहा जिस पर उन्होने पच्चीस हजार रूपये देने पडेगे तो ही रेंजर साहब बिल पास करेगें मैने उन्हे अभी बीस हजार रूपये लेकर कार्य करने सम्बन्धी कहा तो वह मान गए और फोरेस्टर ने अपने मोबाईल से श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब के मोबाईल पर कॉल किया उन्होने अपना मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रेंजर साहब से बात की थी जिसमें रेंजर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की और कहा ठीक है तथा फोरेस्टर ने मुझे बीस हजार रूपये कल देने हेतु कहा गया है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके पश्चात मैं वन रेंज कार्यालय से बाहर आया और डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री बंसीलाल कानि को सुपूर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी के कहे कथनों की ताईद श्री बंसीलाल कानि द्वारा करते हुए बताया की मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द किया और मैं वही आस पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा था। बाद रिष्वत मांग सत्यापन परिवादी मेरे पास उपस्थित आया था जिससे ब्यूरो डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी एवं फोरेस्टर श्री लाडजी गरासीया के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंष सुने गए तो फोरेस्टर लाडजी गरासीया द्वारा परिवादी के कार्य के बिल भुगतान की एवज में पन्द्रह प्रतिषत कमीषन की बात करते हुए अभी के बिल भुगतान करवाने के एवज में बीस हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुआ और उसके द्वारा रेंजर श्री शान्तिलाल चावला को फोन कर वार्ता की थी जो की रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिष्वत राषि की

व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया की मै कल दिनांक 23.08.2025 को प्रातः आपके कार्यालय में रिश्वत राषि की व्यवस्था कर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। आयन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर दो स्वतंत्र गवाह तलब कर नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जावेगी। हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज किए गए। अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ता की आवश्यकता होने से श्री रतन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर को जरिये दूरभाष जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 23.08.2025 समय 08.00 एएम पर आरोपी श्री लाडजी गरासीया फोरेस्टर द्वारा श्री शान्तिलाल चावला रेंजर के लिए आज दिनांक 23.08.2025 को रिश्वत राशि की मांग की गई है अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता है अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 23.08.2025 प्रातः 09.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 09.00 एएम पर पाबन्दशुदा चिकित्सा विभाग बांसवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम कपिल सिंह पुत्र श्री कुलदिप सिंह उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी म.नं. 19 कृष्णा पार्क घाटोल जयपुर लिंक रोड जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा एवं रविन्द्र कुमार भोई पुत्र श्री धुलिया जी उम्र 47 वर्ष जाति भोई निवासी म.नं.बी 3 तीरूपति नगर रूद्राक्ष कॉलोनी के पास जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा होना बताया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। समय 09.30 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, मय ब्यूरो जाप्ता श्री वीर विक्रम सिंह कानि, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, श्री महेश चन्द्र कानि के अपने निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। जिन्हे आवश्यक हिदायत कर कार्यालय कक्ष में बैठाया। समय 09.40 एएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री मुकेश सुरावत मय रिश्वत राशि 20,000 रुपये लेकर आया हूं कार्यवाही करावें। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री मुकेष सुरावत से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री मुकेष सुरावत की रिपोर्ट दिनांक 22-08-25 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया जिस पर श्री बंसीलाल कानि ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंष को सुना गया और गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिष्वत राषि मांग की पुष्टि की। समय 10.00 एएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री मुकेष सुरावत ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री लाडजी गारसिया फोरेस्टर व एक आवाज श्री शान्तिलाल चावला रेंजर की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 11.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री लाडजी गरासिया फोरेस्टर एवं श्री शान्तिलाल चावला को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी श्री मुकेश सुरावत को कहां तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपयें भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री मुकेश सुरावत द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की शीशी को मंगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं 390 को सम्भलवाई गई तथा कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मुकेश सुरावत की जामा तलाषी गवाह श्री रविन्द्र कुमार भोई से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं 390 मे उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री मुकेश सुरावत के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेष कुमार सउनि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस

लाडजी गरासिया फोरेस्टर द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा करने के उपरांत परिवादी श्री मुकेश सुरावत ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर कहा की " पैसे दे दिए, जा के पकड लो " परिवादी द्वारा आरोपी की तरफ ईशारा कर बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने वाहन को तेज गति से आरोपी श्री लाडजी गरासिया के पास पहुंचा तो आरोपी अपनी मोटरसाईकल से भागने लगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्यूरो जाप्ता श्री धीरेन्द्र सिंह एवं गवाह श्री कपिल सिंह द्वारा आरोपी श्री लाडजी गरासिया को मोटरसाईकल से उतारा गया तथा परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम लाडजी गरासिया पुत्र श्री कलजी गरासिया उम्र 59 वर्ष निवासी सरसीया पाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा हाल वनपाल वन नाका ताम्बेसरा वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री लाडजी गरासिया को परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री लाडजी गरासिया ने कहां की में मुकेश जी सरपंच को जानता हु पैसे तो मेरे से उधार लिये थे जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया की श्री लाडजी गरासिया फोरेस्टर झुठ बोल रहे है इन्होने रेंजर साहब के कहने पर मुझसे मेरे फर्म द्वारा नर्सरी सुधारीकरण एवं अन्य मरम्मत कार्य के बिलों भुगतान करने की एवज में कुल भुगतान राशि का पन्द्रह प्रतिशत के हिसाब से 80,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी जिसमें से इन्होने बिल पास करने से पहले 20,000/- रूपये रिश्वत राशि मांगे थे जो मैने इनकी मांग अनुसार इन्हे अभी दिये जो इन्होने अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया कहने लगा साहब गलती हो गई मै गरीब आदमी हुं, कहकर चुप हो गया। तत्पश्चात श्री कपिल सिंह स्वतंत्र गवाह से आरोपी श्री लाडजी गरासिया की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो 500-500 के नोटो की गड्डी मिली जिसे गवाह श्री कपिल सिंह से गिनवाया गया तो कुल 20,000/- रूपये मिले जिसे दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हुबहू हुए जिसे गवाह श्री कपिल सिंह को सुरक्षित सम्भलवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री लाडजी गरासिया को पुनः तसल्ली देकर पूछा की यह रिश्वत राशि 20,000/- रूपये किसके लिये ग्रहण किए है जिस पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया ने कहा कि श्री मुकेश जी सरपंच की फर्म द्वारा हमारी वन रेंज में नर्सरी सुधारिकरण का कार्य किया था जिसके बिलो पर साईन कर भुगतान हेतु भिजवाने के लिए मुझे श्री शान्तिलाल चावला रेंजर साहब ने कहा था कि तुम इससे कमीशन की राशि ले लेना उसके बाद इनके बिल में आगे भिजवा दुंगा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री लाडजी गरासिया को कहा कि अभी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर को फोन करो। तत्पश्चात समय करीब 01.16 पीएम पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल द्वारा अपने मोबाईल नं से आरोपी श्री शान्तिलाल चावला के मोबाईल नं पर कॉल लगाया और कहा कि सर वो मुकेश वाला पेमेन्ट, मैं आ जाउ देने थोडा बाहर निकलना है, जिस पर श्री शान्तिलाल चावला द्वारा आ जाओ कहते हुए अपनी सहमति व्यक्त की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल सम्पर्क कर निर्देशित किया कि आरोपी श्री शान्तिलाल चावला के वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ स्थित कार्यालय पहुंच कर डिटेन करें। आरोपी श्री लाडजी गरासिया द्वारा रिश्वत राशि ग्रामीण सडक सरसिया पाडा पर ग्रहण किये गए थे जहां हाथ धुलाई की कार्यवाही करने हेतु उचित जगह नही होने से श्री कपिल सिंह स्वतंत्र गवाह एवं श्री रविन्द्र कुमार भोई से आरोपी श्री लाडजी गरासिया के दोनो हाथों को कलाई के उपर से पकडवाया जाकर यथास्थिती प्राईवेट टैक्सी वाहन में बैठाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ के लिए रवाना होते हुए परिवादी श्री मुकेश सुरावत को अपने भाई की निजी मोटरसाईकल से वन रेंज डूंगरा सज्जनगढ पर आने हेतु निर्देशित किया। समय करीब 01.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी श्री लाडजी गरासिया व ब्यूरो जाब्ता तथा परिवादी अपने-अपने वाहनो से वन रेंज डूंगरा सज्जनगढ पहुंचे जहां आरोपी श्री लाडजी गरासिया को प्राईवेट वाहन टैक्सी से उतारकर सुरक्षित हालत में वन रेंज डूंगरा के कार्यालय में प्रवेश किया जहां श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता व एक अन्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में कुर्सी के पास खडे व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम शान्तिलाल चावला पुत्र श्री लालुराम चावला उम्र 57 वर्ष निवासी 49 बी हिरण मगरी सेक्टर 14 जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री शान्तिलाल चावला से परिवादी श्री मुकेश सुरावत के बिल के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बोला की मैने कोई रिश्वत राशि नही मांगी है मैने तो इनके बिल बनाकर डिवीजन में भिजवा दिए है। जिस पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया से उक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी श्री लाडजी गरासिया ने कहा कि रेंजर साहब मुकेश जी के बिल पर साईन नही कर रहे थे पैसा लेगे तब जाके बिल पर साईन करेंगें और बिल पास करने की एवज में अस्सी हजार रूपये मांग रहे थे अभी 20,000/- रूपये लिये है बाकि के बिल पास होगा तब लेने के लिए रेंजर साहब ने कहा था इसलिए रेंजर साहब के कहने पर मैने मुकेश जी सरपंच से 20,000/- रूपये लिए थे जो मैं इनको देने आने वाला था, उससे पहले आपकी एसीबी टीम ने मुझे पकड लिया था, ये साईन नही कर रहे थे मैने इनको हाथा जोडी करके साईन करवा कर कहा कि पैसे आ जाएगे। इस पर

आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर हाथा जोडी करने लगा और कहने लगा की साहब गलती हो गई माफ कर दो। आरोपी श्री लाडजी गरासिया एवं परिवादी श्री मुकेश सुरावत के कहे अनुसार स्पष्ट है कि श्री शान्तिलाल चावला रेंजर द्वारा ही आरोपी श्री लाडजी गरासिया के माध्यम से परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। प्रकियानुसार आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल के दोनो हाथों का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर रेंज डूंगरा के कार्यालय कक्ष से पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री लाडजी गरासिया के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH -2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री लाडजी गरासिया के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH -1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पष्चात आरोपी श्री लाडजी गरासिया की पहनी हुई पेन्ट बरंग नीले पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब जहां से रिष्वत राषि 20,000/- रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त बरंग नीले पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी श्री लाडजी गरासिया के वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित सरकारी क्वार्टर से पेन्ट मंगवाकर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री दिनेष कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब को उलट कर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को सिलचिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P -2 अंकित कर उक्त सिलचिटषुदा षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात् उक्त पहनी हुई बरंग नीले पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात श्री कपिल सिंह स्वतंत्र गवाह को पूर्व में सम्भलाई गई रिष्वत राषि 20,000/- रूपये जिसका मिलान पूर्व में दोनो स्वतंत्र गवाहान से, मूर्तिब फर्द पेषकषी से कर लिया गया था उक्त रिष्वत राषि को श्री कपिल सिंह गवाह से प्राप्त कर उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर नियमानुसार एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा चिट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरो लिये गया। उक्त बरामदगी की विडियोग्राफी श्री बन्सीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल से विडीयोग्राफी करवाई गई। इसके पश्चात समय 03.00 पीएम पर वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ के परिसर में स्थित आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर के सरकारी आवास की खानातलाशी नियमानुसार दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर की मौजुदगी में ली जाकर फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए गए तथा समय 03.20 पीएम पर वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ के परिसर में स्थित आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल के सरकारी आवास की खानातलाशी नियमानुसार दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल की मौजुदगी में ली जाकर फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए गए तथा श्री लाडजी गरासिया वनपाल के सरकारी आवास की चाबी वहां मौके उपस्थित आए श्री कैलाश गरासिया को सम्भलवाई गई। नियमानुसार उक्त खानातलाशी की विडियोग्राफी श्री बन्सीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नय रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल में विडीयोग्राफी करवाई गई। हालात उच्चाधिकरीयों को अवगत करवाते हुए आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर के उदयपुर स्थित निवास की तलाशी हेतु निवेदन किया गया। समय 03.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला रेंजर एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल को सुरक्षित रेंज कार्यालय पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक कि निगरानी में रखकर एवं सिलचिटशुदा आर्टिकल दिनेश कुमार सउनि को सम्भलवाए गए तथा दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी व ब्यूरो जाब्ता श्री महेश चन्द्र कानि के साथ घटनास्थल निरीक्षण हेतु सरसीया पाडा की तरफ जरिये प्राईवेट टैक्सी वाहन मय आवश्यक संसाधन के रवाना हुआ। समय 04.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा बाद निरीक्षण घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर घटना स्थल सरसीया पाडा से मय हमराहियानों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से रवाना हो वन रेंज कार्यालय डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ में उपस्थित हुआ। फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 04.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान् उप वन संरक्षक

जिला बांसवाडा को वन रेंज डूंगरा सज्जनगढ में हुई ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए वन रेंज के कार्यालय को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ताला लगाकर चाबी सुरक्षित रख मय आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला रेंजर एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स, सीलचिटशुटा आर्टिकल इत्यादी आवश्यक संसाधनों के अपने-अपने वाहनो से वन रेज डूंगरा सज्जनगढ से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय पहुंच कि जावेगी। समय 04.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुंचकर दोनो आरोपीगणों को सुरक्षित कार्यालय के कक्ष में बैठाया गया तथा सीलचिटशुदा आर्टिकल को श्री दिनेश कुमार सउनि को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। समय 05.10 पीएम पर दिनांक 23.08.2025 समय 12.34 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.05 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.06 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा 01.16 पीएम पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया व आरोपी श्री शान्तिलाल चावला के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चला कर सुनाया गया। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री मुकेश सुरावत ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल व मोबाईल पर हुई वार्ता श्री शान्तिलाला चावला रेंजर की होने की पुष्टि की तथा श्री लाडजी गरासिया वनपाल एवं श्री शान्तिलाल चावला ने भी उपरोक्त वार्ता में आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 06.10 पीएम पर पाबन्दशुदा श्री अभिषेक गोदा हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम कार्यालय उप वन संरक्षक जिला बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आए और परिवादी श्री मुकेश सुरावत की फर्म राजकुमार सुरावत मटेरियल सप्लायर्स के भुगतान बिल जो की प्राप्ति रसीद संख्या 1070 दिनांक 22.08.2025 की मूल प्रति पेश की जिसका बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। ततपश्चात ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री बंसीलाल कानि से ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट करवा रिकॉर्ड शुदा वार्ता दिनांक 22.08.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 23.08.2025 को हुई मोबाईल एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर सुनवाया गया तो श्री अभिषेक गोदा द्वारा आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला रेंजर एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल की आवाज पहचान करते हुए कहा कि उक्त दोनो कार्मिक उप वन संरक्षक कार्यालय राजकार्य हेतु आते जाते थे जिनसे मेरा राजकार्य के सम्बन्ध में एवं उनकी वन रेंज से सम्बन्धित बिलो के लिए वार्ता होती है इसलिए में इन दोनो की आवाज पहचानता हु। तत्पश्चात श्री अभिषेक गोदा सहायक लेखाधिकारी प्रथम को वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ की चाबी भी सुपुर्द की गई। समय 06.30 पीएम पर दिनांक 22.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश सुरावत व आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं उसी दौरान आरोपी श्री लाडजी गरासिया द्वारा आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर को मोबाईल पर फोन वार्ता, दिनांक 23.08.2025 समय 12.34 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.05 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.06 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा 01.16 पीएम पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया व आरोपी श्री शान्तिलाल चावला के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर मे श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 06.50 पीएम पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी पेन ड्राईव तथा एक पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया

तथा आरोपी व डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 07.20 पीएम पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल के वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ में स्थित सरकारी आवास की खानातलाशी के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोेबाईल में मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक पेनड्राईव तैयार की गयी। उक्त पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 16 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 07.40 पीएम पर आरोपी श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके पुत्र श्री भावेश चावला के मोबाईल पर सुचित किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गरासिया को उसके मोबाईल पर सुचित किया गया। समय 08.20 पी.एम. पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु तहरिर जारी कर श्री वीर विक्रम िसह, श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये वाहन रवाना किए। समय 09.00 पी.एम. पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करा बाद परीक्षण मय आरोपीगण के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। दोनो आरोपीगण को सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। समय 09.10 पी.एम पर आरोपी श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 23.08.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-5 दिनांक 23.08.2025 एवं श्री लाडजी गरासिया वनपाल के पत्रांक एसपीएल-6 दिनांक 23.08.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-7 दिनांक 23.08.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 09.30 पी.एम. पर दिनांक 22.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश सुरावत व आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं उसी दौरान आरोपी श्री लाडजी गरासिया द्वारा आरोपी श्री शान्तिलाल चावला रेंजर को मोबाईल पर फोन वार्ता, दिनांक 23.08.2025 समय 12.34 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.05 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य जरिये मोबाईल, समय 01.06 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री लाडजी गरासिया के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा 01.16 पीएम पर आरोपी श्री लाडजी गरासिया व आरोपी श्री शान्तिलाल चावला के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। समय 09.45 पी.एम. पर दिनांक 23.08.2025 को आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल के रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल से विडीयाग्राफी की गई थी जो मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड जो की मेरे पास सुरक्षित था उक्त मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 10.00 पी.एम. पर आरोपी श्री शान्तिलाल चावला एवं श्री लाडजी गरासिया के मध्य दिनांक 22.08.2025 को रिश्वत मांग सम्बन्धि वार्ता एवं दिनांक 23.08.2025 को आरोपी श्री शान्तिलाल चावला एवं श्री लाडजी गरासिया के मध्य हुई मोबाईल वार्ता हुई थी आरोपी श्री शान्तिलाल चावला की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार भोई से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार भोई कां सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 10.20 पी.एम. पर आरोपी श्री शान्तिलाल चावला एवं श्री लाडजी गरासिया के मध्य दिनांक 22.08.2025 को रिश्वत मांग सम्बन्धि वार्ता एवं दिनांक 23.08.2025 को आरोपी श्री शान्तिलाल चावला एवं श्री लाडजी गरासिया के मध्य हुई मोबाईल वार्ता हुई थी आरोपी श्री लाडजी गरासिया की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार भोई से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार भोई कां सम्भलाये गये थे जिसे

जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 10.40 पी.एम. पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। समय 11.40 पी.एम. पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाड़ा के नाम तहरिर जारी कर श्री धीरेन्द्र सिंह, श्री वीर विक्रम िसह, श्री महेश चन्द्र कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। दिनांक 24.08.2025 समय 12.50 एम.एम. पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में दाखिल हवालात करा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपीगण के पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा की रोजनामचा रपट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो इकाई डुंगरपुर के जाब्ते को जाये तैनाती रवाना किया। समय 10.00 ए.एम. पर आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त करने हेतु श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 10.40 ए.एम. पर श्री बंसीलाल कानि एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा से प्राप्त कर ब्यूरों चौकी पर लेकर उपस्थित आये। समय 11.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि मय आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम व श्री लाडजी गरासिया वनपाल व श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय जरिये सरकारी वाहन से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। प्रकरण में आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला, क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ़ एवं श्री लाडजी गरासिया, वनपाल वन नाका ताम्बेसरा वन रेंज डुंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपीगण द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा वन रेंज डुगरा के अन्तर्गत नर्सरी सुधारीकरण एवं मरम्मत सम्बन्धि किये कार्या की एवज में रिष्वत राषि मांगकर ग्रहण की गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि की मांग आरोपी श्री लाडजी गरासिया, वनपाल के मार्फत परिवादी से की गई जिसका नियमानुसार दिनांक 22.08.2025 को रिष्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री लाडजी गरासिया वनपाल द्वारा परिवादी से रिष्वत मांग वार्ता के दौरान 20,000/- रूपये रिष्वत राषि लेने पर सहमत हुआ दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री लाडजी गरासिया द्वारा आरोपी श्री शान्तिलाल चावला को अपने मोबाईल से वार्ता करने पर आरोपी शान्तिलाल द्वारा रिष्वत राषि लेने की सहमति दी गई। तत्पष्चात नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक 23.08.2025 को आरोपी श्री लाडजी गरासिया, वनपाल ने आरोपी श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डुंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा के लिये परिवादी से रिष्वत राषि 20,000/- रूपये अपनी मांग अनुसार ग्रहण करते हुए आरोपी श्री लाडजी गरासिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डुंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा की उक्त मामले में स्पष्ट संलिप्ता पाये जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। मौके से रिष्वत राषि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपीगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण श्री शान्तिलाल चावला क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डुंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा व श्री लाडजी गरासिया वनपाल वन नाका ताम्बेसरा वन रेंज डुगरा मुख्यालय सज्जगनढ जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 23.08.2025 को गिरफ्तार किया गया है। अतः श्री शान्तिलाल चावला पुत्र श्री लालुराम चावला उम्र 57 वर्ष निवासी 49 बी हिरण मगरी सेक्टर 14 जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा एवं श्री लाडजी गरासिया पुत्र श्री कलजी गरासिया उम्र 59 वर्ष निवासी सरसीया पाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा हाल वनपाल वन नाका ताम्बेसरा वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संषोधित) 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेष मीना ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संषोधित) 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री शान्तिलाल चावला पुत्र श्री लालुराम चावला उम्र 57 वर्ष निवासी 49 बी हिरण मगरी सेक्टर 14 जिला उदयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा एवं 2- श्री लाडजी गरासिया पुत्र श्री कलजी गरासिया उम्र 59 वर्ष निवासी सरसीया पाडा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा हाल वनपाल वन नाका ताम्बेसरा वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रतनसिंह राजपुरहित, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 492 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1246-50 दिनांक 25.8.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,उदयपुर, 2.-प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर। 3- उप वन संरक्षक, बांसवाडा 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/8/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1968				
2	Male	08/06/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)